

फर्द अहकाम

खनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	दिनांक
	27/6/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 27/6/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>Handwritten Signature</i> उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जगण</p>	
22-8-25		<p>पत्रावली पेश हुई। वजुलाए करिमेंन उपस्थित। पत्रावली वास्ते बबतेजार तामील रिपोर्ट दिनांक 19/9/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>Handwritten Signature</i> उपखण्ड अधिकारी</p>	
19-9-25		<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 17/10/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>Handwritten Signature</i></p>	
17-10-25		<p>पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ में कार्य स्थागित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 31/10/25 को पेश हो।</p>	
31-10-25		<p>पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उनके अधिवक्ता भन्वु. वादी की आप्त न्यायालय में पृथक-पृथक ससभ पर तीन-तीन बार आवापे लगवायी गयी। आवपुत भावाज लगवाने के उपरांत भी वादी के न्यायालय में धमिर नही जाने के कारन पत्रावली रस्तुत रस्तुत 9 सिगम -3 जा. दी. के तहत अयम हाजरी व अयम पेशकी में खारिज की गयी। पत्रावली केसल सुमार हीकर नंबर से कम होकर राखिल रफ्तार हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>Handwritten Signature</i> उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जगण</p>	